लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3570

उत्तर देने की तारीखः 08.08.2017

अनुसूचित जातियों के छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु योजना

3570. डॉ. उदित राजः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों द्वारा शोध् अध्ययन को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत आवेदनों तथा लाभार्थियों की संख्या कितनी रही तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त वर्ग के छात्रों हेतु छात्रावास तथा मैस सुविधाओं में राजसहायता सुनिश्चित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री विजय साम्पला)

(क) से (ग): अनुसूचित जाति (एससी) विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को एम.फिल और पीएच.डी का अध्ययन करने के लिए शोध फेलोशिप प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान आवेदकों और फेलोशिप की संख्या तथा आवंटित निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

वर्ष	आवंटित निधियां (करोड़ रुपए में)	आवेदकों की संख्या	फेलोशिप की संख्या
2014-15	148.84	11346	2000
2015-16*	200.55	6742	2000
2016-17*	196.00		2000
2017-18	100.00	7302	2000

* चयन एक साथ किया गया।

इस योजना के अंतर्गत, जिन विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा प्रदान नहीं की जाती है, को अनुमत मकान किराया भत्ता दिया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए क्रमशः मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एम.फिल और पीएच.डी. का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जाती हैं। तथापि, शोध अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और उन पर खर्च की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा अलग से नहीं रखा जाता है।

*****